रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D L -33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 1992/माघ 30, 1913
No. 128] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 1992/MAGHA 30, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1992

का. आ. 142(अ).—संविधान के अनुच्छेद 371च के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) का, सिक्किम राज्य पर विस्तार करते हैं, अर्थात् —

(1) उक्त अधिनियमिति में किसी ऐसी विधि, जो सिक्किम राज्य में प्रवृत्त नहीं है या किसी ऐसे कृत्यकारी जो उस राज्य में विद्यमान नहीं है, के प्रति किसी

निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या विद्यमान तत्स्थानी कृत्यकारी के प्रति निर्देश है :

परन्तु यह कि यदि यह प्रश्न उठता है कि ऐसा तत्स्थानी कृत्यकारी कौन है, या यदि कोई ऐसा तत्स्थानी कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चय करेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) उक्त अधिनियमिति के प्रारंभ के लिए उसका सुसंगत उपबंध, यदि कोई है, में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अधिनियमिति के उपबंध सिक्किम राज्य में ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें;

परन्तु यह कि उक्त अधिनियमिति के विभिन्न उपबंधों के लिए और सिक्किम राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और उक्त अधिनियम के प्रारंभ के बारे में किसी ऐसे उपबंध में किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के उस क्षेत्र में, जहां उसे प्रवृत्त किया गया है, प्रवृत्त करने के प्रति निर्देश है ।

(आर. वेंकटरामन)

राष्ट्रपति

[एफ. 11013 3/87—एन. ई.-III]

विनय शंकर, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 1992

S.O. 142(E) .—In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim the Factories Act, 1948 (63 of 1948) subject to the following modifications, namely:—

(1) Any reference in the said Act to a law not in force or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim, shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or to the corresponding functionary in existence, in that State :

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

(2) Notwithstanding anything contained in the relevant provision of the said Act for the commencement thereof, the provisions of the said Act shall come into force in the State of Sikkim on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of the said Act and for different areas in the State of Sikkim, and any reference in any such provision to the commencement of the said Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in the area where it has been brought into force.

(R. VENKATARAMAN)
President

[F. No. 11013/3/87-NE.III]

VINAY SHANKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992